भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 4167
दिनांक 19 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

आवारा कुत्तों से खतरा

4167. श्री गुरजीत सिंह औजलाः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को नियंत्रित करने के लिए दंड सहित अन्य क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है और उन्हें कब तक लागू किया जाएगा; और

(ख) क्या सरकार की इस संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) आवारा कुत्तों का मुद्दा राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है और स्थानीय निकायों को इससे संबंधित मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। कुत्तों की आबादी का मानवीय और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार ने पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 बनाए हैं। ये नियम विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) के कैप्चर-न्यूटर-वैक्सीनेट-रिलीज़ (CNVR) दृष्टिकोण के मानकों के अनुरूप हैं। इन नियमों के तहत, स्थानीय निकाय पशु कल्याण संगठनों के सहयोग से नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

नसबंदी कार्यक्रम एक सतत प्रक्रिया है, जिसका कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है। सचिव (पशुपालन और डेयरी) द्वारा दिनांक 11.11.2024 को सभी मुख्य सचिवों को एक परामर्शी जारी की गई। इसके बाद, दिनांक 16.07.2025 को, पशुपालन और डेयरी विभाग, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय के सचिवों ने संयुक्त रूप से एक परामर्शी जारी की जिसमें दोहराया गया कि आवारा कुत्तों की नसबंदी कुत्तों की आबादी के प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परामर्शी में शहरी स्थानीय निकायों से पशु जन्म नियंत्रण इकाइयाँ स्थापित करने और बड़े पैमाने पर नसबंदी कार्यक्रम चलाने का आग्रह किया गया, जिसमें कम से कम 70% आवारा कुत्तों को शामिल किया जाए।

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने आवारा कुत्तों और आवारा बिल्लियों के जन्म नियंत्रण और टीकाकरण की मौजूदा योजना को संशोधित किया है, जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष से भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड

(AWBI) के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी AWBI की वेबसाइट https://awbi.gov.in/Document/guidelines पर उपलब्ध है। संशोधित योजना के अंतर्गत:

• एबीसी नियम, 2023 के अनुसार ABC कार्यक्रम आयोजित करने हेतु SPCA और स्थानीय निकायों को प्रति कुत्ता 800 रुपए और प्रति बिल्ली 600 रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

• अवसंरचना सहायता: राज्य द्वारा संचालित पशु चिकित्सालयों को सर्जिकल थिएटर, केनेल और रिकवरी यूनिट जैसी सुविधाएँ विकसित करने हेतु 2 करोड़ रुपए के एकमुश्त अनुदान का प्रावधान है।

• AWBI शहरी स्थानीय निकायों, पशु क्रूरता निवारण सोसायटी और मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों को छोटे पशु आश्रय गृहों की स्थापना के लिए 15 लाख रुपए और बड़े पशुओं के लिए 27 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान कर रहा है।

इसके अलावा, नियमों के उचित कार्यान्वयन के लिए, AWBI ने कई परामर्शी और परिपत्र जारी किए हैं, जो अनुबंध-I में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के अंतर्गत, पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (ASCAD) उप-घटक के तहत राज्यों को एंटी-रेबीज टीकों की खरीद के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (NRCP) के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना(NAPRE) को कार्यान्वित कर रहा है, जो दिनांक 28.09.2021 को शुरू की गई है और जिसमें रेबीज उन्मूलन के उद्देश्य से कई पहलें शामिल हैं।

****

अनुबंध-I
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4167
संसद सदस्यः श्री गुरजीत सिंह औजला
दिनांक 19.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के कार्यान्वयन के संबंध में जारी परामर्शियों की सूची

क्र. सं.	तारीख	विषय	जारीकर्ता	जिन्हें भेजा गया:
1	05.04.2022	एबीसी के संचालन हेतु न्यूनतम संशोधित दरें	सचिव, एडब्ल्यूबीआई	• सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव • सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य पशु कल्याण बोर्ड • सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिला मजिस्ट्रेट • सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के के निगम आयुक्त
2	17.05.2022	सामुदायिक पशुओं को गोद लेने के लिए मानक प्रोटोकॉल	अध्यक्ष, एडब्ल्यूबीआई	• सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव • सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशक • सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य पशु कल्याण बोर्ड • सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिला मजिस्ट्रेट • सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निगम आयुक्त
3	27.03.2023	एबीसी नियमों को परिचालित करना	सचिव, डीएएचडी	• सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
4	31.03.2023	केंद्र सरकार द्वारा एबीसी नियम, 2023 को अधिसूचित करने के संबंध में अ.शा. पत्र	संयुक्त सचिव, डीएएचडी	• सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिव, डीएएच • सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग • सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के निगम आयुक्त
5	30.05.2023	एबीसी नियम, 2023 का कार्यान्वयन	सचिव, एडब्ल्यूबीआई	सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर
6	01.10.2024	एबीसी के लिए जारी निविदाओं में सक्रिय भागीदारी हेतु सभी मान्यता प्राप्त एडब्ल्यूओ को सलाह	सचिव, एडब्ल्यूबीआई	सभी मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठन
7	11.11.2024	कुत्तों की आबादी का प्रबंधन और कुत्तों के काटने की घटनाओं में कमी लाने हेतु डीएएचडी परामर्शी	सचिव, डीएएचडी	सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
8	17.07.2025	एबीसी नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आरडब्ल्यूए, एओए, स्थानीय निकायों के लिए दिशानिर्देश	अध्यक्ष, एडब्ल्यूबीआई	• सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव • सभी रजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन
9	17.07.2025	एबीसी नियम, 2023 के नियम 9(3) के अनुसार समितियों का गठन	अध्यक्ष, एडब्ल्यूबीआई	सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव

10	04.08.2025	कुत्तों के काटने के आंकड़े अलग-अलग करने की परामर्शी	अध्यक्ष, एडब्ल्यूबीआई	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक
11	04.08.2025	अनिवार्य परियोजना मान्यता हेतु परामर्शी	अध्यक्ष, एडब्ल्यूबीआई	सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
12	11.08.2025	आवारा कुत्तों की आबादी के प्रबंधन, रेबीज उन्मूलन और मानव-कुत्ते संघर्ष को कम करने हेतु संशोधित पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) मॉड्यूल दिनांक 11.08.2025 को शुरू किया गया	अध्यक्ष, एडब्ल्यूबीआई	सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव